

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0/41/2013-

/राँची, दिनांक:-.....

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना, धनसिंहटोली जलाशय योजना, ब्राहमणी वीयर योजना एवं सोना वीयर योजना के यंत्रिक कार्य हेतु रु० 253.53 लाख (दो करोड़ तिरपन लाख तिरपन हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. सिंचाई यंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना, धनसिंहटोली जलाशय योजना, ब्राहमणी वीयर योजना एवं सोना वीयर योजना के निम्न नहरों में HR/CR/Sluice Gates का महत्वपूर्ण स्थान है। इन गेटों से जल रिसाव के कारण जल की बर्बादी होती है। जलाशय के जल के समुचित वितरण हेतु रु० 253.53 लाख (दो करोड़ तिरपन लाख तिरपन हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

(A) चिन्दा जलाशय योजना के अन्तर्गत कैनल नेटवर्क पर कराये जाने वाले कार्य (रु० 148.44 लाख) :-

- (i) चिन्दा जलाशय योजना के दाँया एवं बाँया मुख्य नहर के चार Sluice Valve के बदलने का कार्य।
- (ii) योजना के Canal Network में 36 अदद H/R Gates का निर्माण एवं अधिष्ठापन।
- (iii) उक्त गेटों का Embedded Parts, Bottom Seal, Side Seal, Hoist Bridge का कार्य।
- (iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

(B) धनसिंहटोली जलाशय योजना के Head Works में कराये जाने वाले कार्य (रु० 54.95 लाख) :-

- (i) योजना के Dam Outlet का Service एवं Emergency gate को बदलने का कार्य।
- (ii) Down Stream Side में Sluice Valve बदलने का कार्य।
- (iii) Hoisting Arrangement, Embedded Parts, Host Bridge एवं Ballast Weight का कार्य।
- (iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य संबंधित कार्य।

(c) ब्राह्मणी वीयर योजना के कैनल नेटवर्क में कराये जाने वाले कार्य (रू० 14.18 लाख) :-

(i) योजना के मुख्य नहर में C/R (3 Nos) एवं H/R (2 Nos) Gates एवं 8 अदद Crest Shutter का निर्माण एवं अधिष्ठापन।

(ii) गेटों के उत्तोलन प्रणाली, साईड सील, Embedded Parts, Hoist Bridge के साथ रेलिंग का कार्य।

(iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य संबंधित कार्य।

(d) सोना वीयर योजना के कैनल नेटवर्क में कराये जाने वाले कार्य (रू० 35.96 लाख) :-

(i) योजना के Canal Network में 9 अदद नया C/R gate एवं 3 अदद H/R Gate लगाने का कार्य।

(ii) Hoisting Arrangement, Embedded Parts, Railing इत्यादि का कार्य।

(iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य संबंधित कार्य।

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. इस कार्य पर होने वाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017-18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।

6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।

7. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

8. इन कार्यों को वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

11. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

12. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

13. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0/41/2013-

/राँची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0/41/2013-

/राँची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0/41/2013-

/राँची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि: सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0/41/2013-

/राँची, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर एवं कोल्हान प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

पत्रांक:-3/पी.एम.सी./प्र0स्वी0/41/2013-78/12-18-9-खी. /राँची, दिनांक:-14.03.2018

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)